रजिस्टर्ड नं०-एल०डब्लू०/एन०पी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 09 दिसम्बर, 2023 ई० (अग्रहायण 18, 1945 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर

लाइसेन्स सम्बन्धी उपविधि, 2022

16 नवम्बर, 2023 ई०

सं0 308/तेईस-03(2023-24)—जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित/संचालित विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को नियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत उपविधि बनायी गयी है तथा अधिनियम की धारा 242(2) के प्रयोजन हेतु उपविधि जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर की बैठक दिनाँक 23 अप्रैल, 2022 के प्रस्ताव सं0—07 द्वारा सर्वसम्मति से पारित की गयी है। यह उपविधि जनपद—सिद्धार्थनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधि

1—कोई व्यक्ति जनपद—सिद्धार्थनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की चाय की दुकान फेरी की दुकान सोडा वाटर की दुकान, मिठाई, घी, दूध, रोटी, बिस्कुट, होटल, बिसाता, मछली या अन्य किसी पदार्थ जो जनसाधरण के खाने या प्रयोग में आते हों तथा अन्य किसी भी तरह का व्यवसाय तब तक नहीं कर सकता है जब तक की उस व्यक्ति द्वारा जिला पंचायत का निर्धारित लाइसेन्स शुल्क जमा करके लाइसेन्स न प्राप्त कर लिया गया हो।

2—(अ) कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की छूत की बीमारी से पीड़ित हो, न तो खुद उपविधियों में वर्णित कोई दुकान या व्यवसाय कर सकता है और न किसी ऐसे रोगी को व्यवसाय में नौकर या सहायक के रूप में रखा जा सकता है।

प्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत सिद्धार्थनगर

(ब) कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थ बनाने हेतु या रखने हेतु ऐसे धातु के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करेगा जो खाद्य पदार्थ को किसी भी प्रकार बिकृत या दूषित करते हों या जिन पर बनाया या रखा हुआ पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

(स) खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए रखे गये बर्तन पूर्णतया इस प्रकार ढक कर रखे हुए हों जिनके ऊपर धूल के कण या कोई हानिकारक जीव न बैठने पायें तथा उनके अन्य हानिप्रद पदार्थ से मिलने की सम्भावना न हों।

(द) प्रत्येक लाइसेन्सधारी को अपने दुकान के सामने एक साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा जिस पर मालिक व दुकान का नाम तथा व्यवसाय स्पष्ट लिखा हों।

3–उपविधि में वर्णित व्यवसाय करने वाले ऐसे व्यवसाय कर्ता जो इस उपविधि को स्वीकृत होने के दिनाँक के पूर्व उक्त स्थान में कोई व्यवसाय करता हो तो स्वीकृत दिनाँक से 02 माह के अन्दर लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

4–अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत या उनके द्वारा अधिकृत पंचायत का कोई अन्य अधिकारी लाइसेन्स निरीक्षण करने का अधिकारी होगा।

(अ) लाइसेन्स शुल्क की वसूली पंचायत के कर्मचारियों द्वारा की जायेगी, मेले हेतु लाइसेन्स की शुल्क वसूली या नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

(ब) ठेका जो नीलाम की जायेगी की स्वीकृति अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा की जायेगी।

5–लाइसेन्स प्राप्तकर्ता द्वारा उपविधि की किसी शर्त के उल्लघंन करने पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को किसी भी लाइसेन्स को स्थगित अथवा अकारण निरस्त करने का अधिकार होगा। प्रतिबन्ध यह है कि व्यक्ति ऐसे आदेशों के दिनाँक से 30 दिन के भीतर मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी जिला पंचायत को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत का निर्णय अन्तिम होगा।

6–अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, जिला पंचायत का सदस्य तथा कर्मचारी जिसे अपर मुख्य अधिकारी द्वारा तदर्थ अधिकृत किया गया है, जो जिला स्वास्थ्य निरीक्षक से कम दर्जे का न हो किसी भी उचित समय पर किसी भी दुकान पर रखे गये खाद्य पदार्थ या अन्य सामग्रियों बिक्री योग सामान का निरीक्षण कर सकते हैं और उन्हें अधिकार होगा कि ऐसे सामान नष्ट कर दें जो मनुष्य के उपयोग योग्य न रह गया हो अथवा जिसके शीघ्र ऐसा हो जाने के सम्भावना हों।

6–प्रत्येक लाइसेन्स अवधि एक वर्ष की होगी जो 01 अप्रैल से अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक मानी जायेगी।

7–प्रत्येक लाइसेन्सधारी को आगामी वर्ष के लिए अपने लाइसेन्स का नवीनीकरण 01 अप्रैल से 30 जून तक अनिवार्य रूप से करा लेना होगा अन्यथा प्रति दुकान प्रतिमाह 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ लाइसेन्स शुल्क जमा करना होगा।

8–कोई भी व्यक्ति जनपद–सिद्धार्थनगर के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी विभाग से ठेकेदारी का कार्य बिना जिला पंचायत से लाइसेन्स प्राप्त किये नहीं करेगा।

9–लाइसेन्स शुल्क की दरें निम्नवत् होगी।

संशोधन

क्र0सं0	मद का नाम	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	राइस मिल या सेलर	150	600
2	स्टील एल्यूमीनियम बर्तन ढलाई बनाना	100	200
3	आइसक्रीम फैक्ट्री	100	1,000
4	कपड़ा या परचून की बड़ी दुकान पर	100	500
5	कपड़ा या परजून की छोटी दुकान पर	50	300

प्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत सिद्धार्थनगर

1	2	3	4
		रु0	रु0
6	गल्ले, किराने की बड़ी दुकान जिसमें 10 कु0 से अधिक हो	100	1,000
7	गल्ले, किराने की छोटी दुकान जिसमें 10 कु0 से अधिक हो	50	500
8	सोना चाँदी की दुकान जो मु0 1,00,000 से अधिक मालियत	150	1,000
9	सोना चाँदी की दुकान मु0 1,00,000 से कम मालियत	50	500
10	सोना चाँदी की आभूषण बनाने की दुकान पर	50	200
11	मेडिकल स्टोर की बड़ी दुकान पर	100	500
12	मेडिकल स्टोर की छोटी दुकान पर	100	250
13	प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर	100	500
14	होटल या मिठाई की बड़ी दुकान पर	50	500
15	होटल या मिठाई की छोटी दुकान पर	50	300
16	होटल या चाय मिठाई की सम्मलित दुकान पर	100	500
17	पुस्तक व कापी किताब तथा लेखन सामग्री पर	50	200
18	लोहे की बड़ी दुकान जिस पर 10 कु0 से अधिक लोहा हो अथवा लोहे के सामान की विक्री की जाती हो।	150	500
19	लोहे की छोटी दुकान जिस पर 10 कु0 से कम लोहा हो अथवा लोहे के सामान की विक्री की जाती हो।	50	300
20	चाय पान की सम्मलित दुकान पर	50	200
21	केवल चाय या पान की दुकान पर	30	100
22	शर्वत या लस्सी, सोड़ा वाटर की दुकान पर	50	200
23	घी अथवा दूध की दुकान पर	100	200
24	किराना फेरी बेचने वाले	25	100
25	विना आरा मशीन के लकड़ी बेचने वाले दुकान पर	150	300
26	ईधन जलाने वाले लकड़ी पर जिसमें 25 कु0 हो	50	300
27	ईधन जलाने वाले लकड़ी की दुकान पर जिसमें 25 कु0 से कम हो	25	200
28	बिसाता (कासमेटिक) की बड़ी दुकान पर	100	500
29	बिसाता (कासमेटिक) की छोटी दुकान पर	100	250
30	रेडिमेड कपड़े की दुकान पर	-	500
31	मछली की दुकान पर	50	200
32	फल की दुकान जिसमें मु0 10,000 से अधिक मालियत हो	100	200
33	फल की दुकान जिसमें मु0 10,000 से कम मालियत हो	30	100
34	फल की थोक दुकान पर	200	500
35	सब्जी के थोक दुकान पर	150	500
36	सब्जी फेरी करके बेचने वाले पर	30	100
37	कोयले की दुकान पर जिसमें 5 कु0 से अधिक कोयला हो	100	500
38	कोयले की दुकान पर जिसमें 5 कु0 से कम कोयला हो	50	200
39	सीमेंट चूना की प्रत्येक दुकान पर	150	500
40	सीमेंट पाईप जाली की ढलाई की दुकान पर	100	200
41	लकड़ी का फर्नीचर जिसमें गृह निर्माण का सामान सम्मलित हो बड़ी दुकान	150	500
42	लकड़ी का फर्नीचर जिसमें गृह निर्माण का सामान सम्मलित हो छोटी दुकान	50	250
43	डीजल, एवं पेट्रोल पम्प पर	500	2,500

प्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत सिद्धार्थनगर

1	2	3	4
		रु0	रु0
44	केवल डीजल पम्प पर	-	1,500
45	केवल पेट्रोल पम्प पर	-	1,500
46	डीजल की फुटकर दुकान पर	200	500
47	मिट्टी तेल थोक विक्रेता की दुकान पर	200	500
48	मिट्टी तेल फुटकर विक्रेता की दुकान पर	50	300
49	गुड़ भेली की दुकान जिसमें 3 कु0 से अधिक स्टाक हो	100	500
50	गुड़ भेली की छोटी दुकान पर	30	200
51	साईकिल की दुकान पर	100	500
52	साईकिल की मरम्मत करने वाले दुकान पर	30	200
53	गैस या बिजली के मोटर विक्रेता अथवा उसके पार्ट विक्रेता पर	150	500
54	डीजल इंजन अथवा बिजली के मोटर विक्रेता पर	150	500
55	डीजल इंजन के पार्ट बोरिंग या पाइप फिटिंग	100	300
56	खराद मशीन की मरम्मत करने वाले दुकान पर	50	200
57	चारा मशीन या उसके पार्ट के दुकान पर	100	300
58	चूड़ी शीशा एवं कांच की दुकान पर	30	200
59	चूड़ा कूटने वाली मशीन पर	100	200
60	चूड़ी की थोक दुकान पर	100	500
61	आटा चक्की तेल मशीन व हालर प्रत्येक मशीन पर	100	200
62	सिलाई की दुकान जिसमें तीन सिलाई मशीन तक	25	300
63	सिलाई की दुकान तीन मशीन से अधिक हो	50	500
64	बीड़ी बनाने की दुकान पर	50	500
65	सुर्ती के थोक विक्रेता एवं निर्माण करने वाले पर	100	500
66	सुर्ती की फुटकर दुकान पर	25	100
67	मदिरा की दुकान जो शासन द्वारा अधिकृत हों	200	1,000
68	ताड़ी, भांग, गाजा, की दुकान जो शासन द्वारा अधिकृत हो	50	500
69	जूता व अन्य प्लास्टिक सामान फेरी विक्रेता	50	100
70	जूता चमड़े का या प्लास्टिक अन्य चमड़े का सामान विक्रेता स्थाई	100	200
71	बिस्कुट कारखाना	100	500
72	रेडियों की दुकान व इलेक्ट्रानिक सामान विक्रेता	100	500
73	रेडियों व घड़ी, टेलीविजन की मरम्मत की दुकान पर	50	250
74	स्टील ट्रंक विक्रेता अथवा स्टील के सामान निर्माता	150	300
75	साबुन निर्माता	100	200
76	फूल, तांबा, लोहा, एल्युमीनियम के बर्तन के दुकान पर जिसमें मु0 50,000 से अधिक मालियत हो	100	300
77	फूल, तांबा, लोहा, एल्युमीनियम के बर्तन के दुकान पर जिसमें मु0 50,000 से कम मालियत हो	50	200
78	अन्य व्यवसाय जिसमें मु0 10,000 मालियत हो	30	200
79	अन्य व्यवसाय जिसमें मु0 10,000 से अधिक मालियत हो	100	500
80	अन्य व्यवसाय जिसमें मु0 1,00,000 से अधिक मालियत हो	100	1,000
81	अन्य व्यवसाय जिसमें मु0 2,00,000 से अधिक मालियत हो	100	1,500
82	गल्ले की थोक दुकान	500	1,000
83	होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट	500	1,000

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत सिद्धार्थनगर

1	2	3	4
		रु0	रु0
84	खाद की दुकान	150	300
85	सिनेमाहाल	1,000	5,000
86	पोल्ट्रीफार्म	200	500
87	कोल्डस्टोरेज	1,000	10,000
88	दो पहिया वाहन की ऐजेन्सी पर (मोटर साइकिल ऐजेन्सी)	1,000	2,500
89	चार पहिया वाहन (जीप, ट्रैक्टर, टैम्पो)	2,000	5,000
90	सरकारी कोटेदार गल्ला/मिट्टी का तेल	200	500
91	टेन्ट हाउस की बड़ी दुकान	200	1,000
92	टेन्ट हाउस की छोटी दुकान	100	500
93	जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत अन्य विभागों में ठेकेदारों पर श्रेणीबद्ध लाइसेन्स		
	(अ) प्रथम श्रेणी	1,000	2000
	(व) द्वितीय श्रेणी	500	1000
	(स) तृतीय श्रेणी	200	500
94	वकरा वकरी वधशाला	100	250
95	गैस ऐजेन्सी	500	1500
96	रासायनिक खाद विक्रेता थोक	200	500
97	रासायनिक खाद विक्रेता फुटकर	100	200
98	कपड़े की दुकान जिसमें 10 हजार से अधिक मालियत हो	200	300
99	कपड़े की दुकान जिसमें 01 लाख से अधिक मालियत हो	200	500
100	सुगर मिल	-	10,000
101	मोवाइल की दुकान	-	500
102	मोवाइल पार्टस एवं रिपेयर	-	250
103	मोवाइल राइस मिल	-	500
104	पशु आहार केन्द्र	-	200
105	फोटो स्टेट	-	250
106	फोटो स्टूडियों	-	300
107	ब्यूटी पार्लर	-	300
108	मोटर साइकिल पार्ट	-	200
109	मोटर साइकिल रिपेयर	-	200
110	दो पहिया वर्क शाप	-	500
111	चार पहिया वर्क शाप	-	1,000
112	प्रिटिंग प्रेस/ऑफसेट मशीन प्रत्येक पर	-	500
113	रेडियम नम्बर प्लेट	-	150
114	पैथालोजी	-	500
115	नर्सिंग होम/हास्पिटल	-	1,000
116	गाड़ी धुलाई सेन्टर	-	200
117	अण्डे के थोक विक्रेता	-	500
118	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र/टाईपिंग	-	250
119	वड़ा गोदाम सभी प्रकार के	-	1,000
120	छोटा गोदाम सभी प्रकार के	-	500
121	मोबिल आयल फुटकर विक्रेता	-	200

प्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत सिद्धार्थनगर

1	2	3	4
		रु0	रु0
122	भोजनालय की बड़ी दुकान	-	500
123	भोजनालय की छोटी दुकान	-	250
124	मैरज हाल/पैलेस बड़ा	-	5,000
125	मैरज हाल/पैलेस छोटा	-	2,500
126	ढाबा की दुकान	-	500
127	इलेक्ट्रिक की दुकान	-	250
128	इलेक्ट्रानिक की दुकान	-	250
129	गिट्टी, मोरंग, बालू प्रत्येक पर	-	250
130	टायल्स एण्ड मार्बल प्रत्येक पर	-	500
131	चूड़ी की दुकान	-	250
132	फ्लोर आटा मिल	-	1,000
133	खाद गोदाम	-	2,500
134	हार्डवेयर की दुकान	-	200
135	मोबिल आयल थोक विक्रेता	-	500
136	जनरल स्टोर बड़ी दुकान	-	500
137	जनरल स्टोर छोटी दुकान	-	250
138	कृषि बीज विक्रेता	-	250
139	लोहा भंगार की दुकान	-	250
140	दाल मिल	-	5,000
141	मिनरल वाटर फैक्ट्री/सप्लायर	-	2,500

1–प्रतिबन्ध यह है कि इन उपविधियों के अधीन किसी भी शुल्क का बकाया अधिनियम के अध्याय 8 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार वसूल किया जायेगा।

2–प्रतिबन्ध यह है कि मेले में उक्त दुकान रखने वालों को उक्त लाइसेन्स शुल्क का एक चौथाई भुगतान करना होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में किसी भी उपनियम/शर्तों का उल्लघंन करने पर उल्लंघन कर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर रु0 1,000 अर्थ दण्ड दिया जा सकता है, तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा हो रु0 50 प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना न अदा करने पर तीन माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
आयुक्त,
बस्ती मण्डल, बस्ती।

पी0एस0यू0पी0–37 हिन्दी गजट–भाग 3–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

प्रमाणित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत सिद्धार्थनगर